न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **335/2021** दायर दिनाँक **17.12.2021**

वादी		प्रतिवादीगण
1. प्रभात सिंह पुत्र पांचाराम उम्र 70 वर्ष जाति मेहत्तर निवासी नूंवा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **28.04.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि सरहद नूंवा पुराना खेत खसरा सं0 330 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा सं0 628 रकबा 0.1400 हैक्टे0 है, गत खतौनी व वर्तमान खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ पेश है।

यह है कि गत खसरा सं0 330 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा का नक्शा ट्रेस में पूर्वी सीमा एक समान एक सीध में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जबकि वर्तमान नक्शा ट्रेस में उक्त नये खसरा सं0 628 की भूमि को नक्शा ट्रेस में खांचा डाल दिया, उक्त वर्तमान नक्शा में भूमि किसके आदेश से किया, उक्त आदेश की उल्लेख नही है, जबकि मौके पर भूमि आज भी पुराना खरसा सं0 330 की भूमि के ट्रेस नक्शा के अनुसार ही है। गत व वर्तमान नक्शा ट्रेसों की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ पेश है।

यह है कि वादी ने वाद के साथ सुविधा के लिए गत खसरा सं0 330 व वर्तमान खसरा सं0 628 के ट्रेस नक्शा को नजरी नक्शा में मार्क क व ख से दर्शाया गया है, जो दावा का अहम हिस्सा है। जो अनुसूचि "अ" है।

यह है कि नजरी नक्शा अनुसूचि "अ" में मार्क "क" गत खसरा सं0 330 की पूर्वी सीमा मार्क बी ता सी समानान्तर (सीधी) है, जबकि वर्तमान ट्रेस नक्शा में नजरी नक्शा अनुसूचि "अ" में मार्क "ख" वर्तमान खसरा सं0 628 की पूर्वी सीमा में मार्क सी डी ई एफ में कर्व यानि खांचा डाल दिया। जबकि आज भी मौके पर अनुसूचि "अ" में मार्क "क" के अनुसार ही पूर्वी सीमा समानान्तर सीधी0सं0 है। जिसकी जानकारी होते ही वादी ने प्रशासन गांवों के संग अभियान में उक्त नक्शा की पूर्वी सीमा गत ट्रेस नक्शा के अनुसार ही करने बावत लिखत में निवेदन किया, जिस पर संबन्धित शिविर प्रभारी ने राजस्व अधिकारियों से मौके पर जाकर पुराने नक्शा ट्रेस के अनुसार ही वर्तमान में पूर्वी सीमा सामानान्तर सीधी पाई ।

प्रार्थना वादी निम्न हैः–

कि गत खसरा सं0 330 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा के वर्तमान खसर सं0 628 रकबा 0.1400 हैक्टे0 भूमि की नक्शा ट्रेस में पूर्वी सीमा समानान्तर सीधी करने की घोषणा की जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में भी दुरूस्ती की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 275 दिनांक 11.03.2022 के द्वारा [illegible] हुई। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। वादी तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट पर सहमत है।

अतः तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:08:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम नूवां के गत खसरा सं0 330 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा के वर्तमान खसर सं0 628 रकबा 0.1400 हैक्टे0 भूमि में तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार नक्शा ट्रेस में पूर्वी सीमा समानान्तर सीधी करने की घोषणा की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **28.04.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:08:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **335/2021** दायर दिनाँक **17.12.2021**

वादी		प्रतिवादीगण
1. प्रभात सिंह पुत्र पांचाराम उम्र 70 वर्ष जाति मेहत्तर निवासी नूंवा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **28.04.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम नूवां के गत खसरा सं0 330 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा के वर्तमान खसर सं0 628 रकबा 0.1400 हैक्टे0 भूमि में तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार नक्शा ट्रेस में पूर्वी सीमा समानान्तर सीधी करने की घोषणा की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **28.04.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	–		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर [illegible] के जरिये दिलाया गया हो या नहीं [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:08:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with Oken Scanner